

Contract of Indemnity (क्षतिपूर्ति अनुबंध)

Important Questions (English)

1. What is a Contract of Indemnity? Explain its essentials.
2. Define Contract of Indemnity under the Indian Contract Act, 1872. Discuss the rights of indemnity holder.
3. Explain the nature and scope of Contract of Indemnity with leading case laws.
4. Distinguish between Contract of Indemnity and Contract of Guarantee.
5. क्षतिपूर्ति अनुबंध क्या है? इसके आवश्यक तत्वों की व्याख्या कीजिए।

क्षतिपूर्ति अनुबंध (Contract of Indemnity) परिचय

जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को यह वचन देता है कि वह उसे किसी हानि, नुकसान या दायित्व से बचाएगा, तब ऐसा अनुबंध “क्षतिपूर्ति अनुबंध” कहलाता है। यह अनुबंध भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 की धारा 124 एवं 125 में वर्णित है। व्यापारिक लेन-देन, बीमा, एजेंसी तथा बैंकिंग कार्यों में इस प्रकार के अनुबंध का अत्यधिक महत्व है।

परिभाषा (Definition) भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 की धारा 124 के अनुसार—

“जब एक पक्ष दूसरे पक्ष को अपने स्वयं के कार्य अथवा किसी अन्य व्यक्ति के कार्य से होने वाली हानि से बचाने का वचन देता है, तब उसे क्षतिपूर्ति अनुबंध कहते हैं।”

उदाहरण

यदि A, B से कहता है कि “यदि तुम्हें मेरे कहने पर किसी कार्य के कारण हानि होगी तो मैं उसकी भरपाई करूँगा”, तो यह क्षतिपूर्ति अनुबंध है।

आवश्यक तत्व (Essentials of Contract of Indemnity)

1. दो पक्षों का होना

इस अनुबंध में मुख्यतः दो पक्ष होते हैं—

- क्षतिपूर्तिकर्ता (Indemnifier)
- क्षतिपूर्ति धारक (Indemnity Holder)

2. हानि से सुरक्षा का वचन

एक पक्ष दूसरे को हानि से बचाने का आश्वासन देता है।

3. हानि का होना

हानि वास्तविक या संभावित हो सकती है।

4. वैध अनुबंध होना

यह अनुबंध भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 10 के अनुसार वैध होना चाहिए।

5. प्रतिफल (Consideration)

अनुबंध में वैध प्रतिफल होना आवश्यक है।

क्षतिपूर्ति धारक के अधिकार (Rights of Indemnity Holder) – धारा 125

जब क्षतिपूर्ति धारक पर कोई वाद दायर होता है, तब उसे निम्न अधिकार प्राप्त होते हैं—

1. हर्जाना प्राप्त करने का अधिकार

जो भी क्षति उसे हुई हो उसकी भरपाई प्राप्त कर सकता है।

2. न्यायालयीन खर्च प्राप्त करने का अधिकार

वाद में हुए सभी उचित खर्च प्राप्त कर सकता है।

3. समझौते की राशि प्राप्त करने का अधिकार

यदि उसने उचित रूप से समझौता किया है तो उसकी राशि भी प्राप्त कर सकता है।

क्षतिपूर्ति अनुबंध और प्रत्याभूति अनुबंध में अंतर

आधार क्षतिपूर्ति अनुबंध प्रत्याभूति अनुबंध

पक्षकार दो पक्ष तीन पक्ष

उद्देश्य हानि की भरपाई ऋण या दायित्व का आश्वासन

दायित्व प्राथमिक द्वितीयक

उदाहरण बीमा बैंक गारंटी

प्रमुख वाद (Case Laws)

1. Adamson v. Jarvis (1827)

इस वाद में न्यायालय ने कहा कि यदि किसी व्यक्ति ने दूसरे के निर्देश पर कार्य किया और उसे हानि हुई, तो निर्देश देने वाला व्यक्ति उसकी क्षतिपूर्ति करेगा।

2. Gajanan Moreshwar v. Moreshwar Madan

न्यायालय ने कहा कि क्षतिपूर्ति धारक वास्तविक हानि होने से पहले भी सुरक्षा पाने का अधिकारी हो सकता है।

3. Secretary of State v. Bank of India

इस मामले में न्यायालय ने क्षतिपूर्ति अनुबंध की व्यापक व्याख्या की।

निष्कर्ष

क्षतिपूर्ति अनुबंध व्यापारिक एवं कानूनी क्षेत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह अनुबंध व्यक्तियों को संभावित हानि से सुरक्षा प्रदान करता है तथा व्यापारिक विश्वास को मजबूत बनाता है। भारतीय संविदा अधिनियम की धाराएँ 124 और 125 इसके आधारभूत प्रावधान हैं।

Contract of Guarantee (प्रत्याभूति अनुबंध)

Important Questions (English)

1. What is a Contract of Guarantee? Explain its essentials.
2. Define Contract of Guarantee under the Indian Contract Act, 1872. Discuss the liability of surety.
3. Explain the rights and liabilities of surety in a Contract of Guarantee with case laws.
4. Distinguish between Contract of Indemnity and Contract of Guarantee.
5. प्रत्याभूति अनुबंध क्या है? इसके आवश्यक तत्वों की व्याख्या कीजिए।

प्रत्याभूति अनुबंध (Contract of Guarantee) परिचय

जब एक व्यक्ति किसी तीसरे व्यक्ति के ऋण, दायित्व अथवा वचन के पालन की जिम्मेदारी लेने का आश्वासन देता है, तब ऐसा अनुबंध “प्रत्याभूति अनुबंध” कहलाता है।

यह अनुबंध भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 की धारा 126 से 147 तक वर्णित है। बैंकिंग, व्यापार और वित्तीय लेन-देन में इसका अत्यधिक महत्व है।

परिभाषा (Definition)

भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 की धारा 126 के अनुसार—

“प्रत्याभूति अनुबंध वह अनुबंध है जिसमें एक व्यक्ति किसी तीसरे व्यक्ति के वचनभंग या दायित्व के पालन न करने की स्थिति में उसके दायित्व को पूरा करने का आश्वासन देता है।”

पक्षकार (Parties to Contract of Guarantee)

1. मुख्य ऋणी (Principal Debtor)

जिस व्यक्ति के लिए गारंटी दी जाती है।

2. प्रतिभू/ जमानतदार (Surety)

जो गारंटी देता है।

3. ऋणदाता (Creditor)

जिसके पक्ष में गारंटी दी जाती है।

उदाहरण

यदि A, B को उधार देता है और C यह वचन देता है कि यदि B भुगतान नहीं करेगा तो वह भुगतान करेगा, तो C प्रत्याभूति देने वाला (Surety) कहलाएगा।

आवश्यक तत्व (Essentials of Contract of Guarantee)

1. तीन पक्षों का होना

इस अनुबंध में तीन पक्ष आवश्यक होते हैं।

2. मुख्य दायित्व का होना

मुख्य ऋणी पर कोई वैध दायित्व होना चाहिए।

3. दायित्व के पालन की गारंटी

प्रतिभू मुख्य ऋणी के दायित्व को पूरा करने का आश्वासन देता है।

4. वैध प्रतिफल (Consideration)

ऋणदाता द्वारा मुख्य ऋणी को दिया गया लाभ ही प्रतिभू के लिए पर्याप्त प्रतिफल होता है।

5. वैध अनुबंध

यह अनुबंध धारा 10 के अनुसार वैध होना चाहिए।

प्रतिभू (Surety) के अधिकार

1. प्रतिकर प्राप्त करने का अधिकार

ऋण चुकाने के बाद प्रतिभू मुख्य ऋणी से राशि वसूल सकता है।

2. प्रतिस्थापन का अधिकार (Right of Subrogation)

ऋण चुकाने के बाद प्रतिभू को ऋणदाता के सभी अधिकार प्राप्त हो जाते हैं।

3. प्रतिभूतियों का लाभ (Benefit of Securities)

ऋणदाता के पास जो प्रतिभूतियाँ हैं उनका लाभ प्रतिभू को मिलता है।

प्रतिभू की देयता (Liability of Surety)

धारा 128 के अनुसार प्रतिभू की देयता मुख्य ऋणी के समान होती है, जब तक कि अनुबंध में अन्यथा प्रावधान न हो।

प्रत्याभूति के प्रकार (Types of Guarantee)

1. विशिष्ट प्रत्याभूति (Specific Guarantee)

जो केवल एक विशेष लेन-देन के लिए दी जाती है।

2. सतत प्रत्याभूति (Continuing Guarantee)

जो कई लेन-देन पर लागू होती है।

प्रत्याभूति की समाप्ति (Revocation of Guarantee)

- सूचना देकर समाप्ति
- प्रतिभू की मृत्यु से
- अनुबंध में परिवर्तन होने पर

क्षतिपूर्ति अनुबंध और प्रत्याभूति अनुबंध में अंतर

आधार क्षतिपूर्ति अनुबंध प्रत्याभूति अनुबंध

पक्षकार दो पक्ष तीन पक्ष

उद्देश्य हानि की भरपाई ऋण/दायित्व की गारंटी

दायित्व प्राथमिक द्वितीयक

उदाहरण बीमा बैंक गारंटी

प्रमुख वाद (Case Laws)

1. Birkmyr v. Darnell

इस वाद में न्यायालय ने प्रत्याभूति अनुबंध और मूल वचन में अंतर स्पष्ट किया।

2. State Bank of India v. Saksaria Sugar Mills

न्यायालय ने प्रतिभू की देयता को मुख्य ऋणी के समान माना।

3. Amrit Lal Goverdhan Lalan v. State Bank of Travancore

इस वाद में सतत प्रत्याभूति के सिद्धांतों की व्याख्या की गई।

निष्कर्ष

प्रत्याभूति अनुबंध व्यापारिक और बैंकिंग व्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार है। यह ऋणदाता को सुरक्षा प्रदान करता है तथा व्यापारिक विश्वास को बढ़ाता है। भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 की धाराएँ 126 से 147 इसके प्रमुख प्रावधान हैं।

Bailment (निक्षेप) –

Important Questions (English)

1. What is Bailment? Explain its essentials and kinds.
2. Define Bailment under the Indian Contract Act, 1872. Discuss the duties and rights of bailor and bailee.
3. Explain different types of Bailment with case laws.
4. Distinguish between Bailment and Pledge.
5. निक्षेप (Bailment) क्या है? इसके आवश्यक तत्वों की व्याख्या कीजिए।

निक्षेप (Bailment)

परिचय

जब एक व्यक्ति किसी विशेष उद्देश्य से अपनी वस्तु दूसरे व्यक्ति को इस शर्त पर देता है कि उद्देश्य पूरा होने पर वस्तु वापस कर दी जाएगी या उसके निर्देशानुसार निपटाई जाएगी, तो इसे “निक्षेप” कहते हैं।

भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 की धारा 148 से 171 तक निक्षेप का वर्णन किया गया है।

परिभाषा (Definition) धारा 148 के अनुसार—

“जब एक व्यक्ति किसी उद्देश्य से वस्तुएँ दूसरे व्यक्ति को इस अनुबंध पर सौंपता है कि उद्देश्य पूरा होने पर वस्तुएँ वापस कर दी जाएँगी या निर्देशानुसार निपटाई जाएँगी, तब उसे निक्षेप कहते हैं।”

पक्षकार (Parties)

1. निक्षेपक (Bailor)

जो वस्तु देता है।

2. निक्षेपग्राही (Bailee)

जो वस्तु प्राप्त करता है।

उदाहरण

यदि A अपनी घड़ी मरम्मत हेतु B को देता है, तो A निक्षेपक और B निक्षेपग्राही होगा।

आवश्यक तत्व (Essentials of Bailment)

1. चल संपत्ति का होना

केवल चल संपत्ति का निक्षेप हो सकता है।

2. वस्तु का सुपुर्द करना

वस्तु का वास्तविक या प्रतीकात्मक हस्तांतरण आवश्यक है।

3. विशेष उद्देश्य

वस्तु किसी विशेष उद्देश्य से दी जाती है।

4. वस्तु की वापसी

उद्देश्य पूरा होने पर वस्तु लौटानी होती है।

5. अनुबंध

पक्षकारों के बीच अनुबंध होना आवश्यक है।

निक्षेप के प्रकार (Kinds of Bailment)

1. लाभकारी निक्षेप

दोनों पक्षों के लाभ हेतु।

2. निःशुल्क निक्षेप

बिना किसी प्रतिफल के।

निक्षेपक के कर्तव्य

- दोषों की जानकारी देना
 - आवश्यक खर्च देना
 - हानि की भरपाई करना
-

निक्षेपग्राही के कर्तव्य

- वस्तु की उचित देखभाल करना
 - अनधिकृत उपयोग न करना
 - वस्तु वापस करना
-

निक्षेपग्राही के अधिकार

- खर्च प्राप्त करने का अधिकार
 - पारिश्रमिक प्राप्त करने का अधिकार
 - ग्रहणाधिकार (Lien)
-

प्रमुख वाद (Case Laws)

1. Coggs v. Bernard

इस वाद में निक्षेप के सिद्धांतों को स्पष्ट किया गया।

2. Kaliaperumal Pillai v. Visalakshmi

न्यायालय ने कहा कि वस्तु का सुपुर्द किया जाना निक्षेप का आवश्यक तत्व है।

3. Ultzen v. Nicolls

इस मामले में वस्तु की सुरक्षा के दायित्व पर प्रकाश डाला गया।

निष्कर्ष

निक्षेप व्यापारिक जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह वस्तुओं की सुरक्षा और अस्थायी हस्तांतरण की कानूनी व्यवस्था प्रदान करता है।

Pledge (गिरवी / प्रतिज्ञा) –

Important Questions (English)

1. What is Pledge? Explain its essentials.
 2. Define Pledge under the Indian Contract Act, 1872. Discuss rights and duties of pawnor and pawnee.
 3. Distinguish between Bailment and Pledge.
 4. Explain the rights of Pawnee in case of default by Pawnor.
 5. गिरवी (Pledge) क्या है? इसके आवश्यक तत्वों की व्याख्या कीजिए।
-

गिरवी / प्रतिज्ञा (Pledge) परिचय

जब किसी ऋण के भुगतान या वचन के पालन की सुरक्षा हेतु वस्तु निक्षेप के रूप में दी जाती है, तब उसे “गिरवी” या “प्रतिज्ञा” कहते हैं।

भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 की धारा 172 से 179 तक इसका वर्णन है।

परिभाषा (Definition) धारा 172 के अनुसार—

“ऋण के भुगतान अथवा वचन के पालन की सुरक्षा के लिए वस्तुओं का निक्षेप ‘गिरवी’ कहलाता है।”

पक्षकार (Parties)

1. गिरवी रखने वाला (Pawnor)

जो वस्तु गिरवी रखता है।

2. गिरवीधारी (Pawnee)

जो वस्तु ग्रहण करता है।

उदाहरण

यदि A बैंक से ऋण लेने हेतु अपने आभूषण गिरवी रखता है, तो यह गिरवी का अनुबंध है।

आवश्यक तत्व (Essentials of Pledge)

1. चल संपत्ति का होना
 2. वस्तु का सुपुर्द करना
 3. ऋण या दायित्व की सुरक्षा
 4. वस्तु वापस करने की शर्त
 5. वैध अनुबंध
-

गिरवीधारी (Pawnee) के अधिकार

1. प्रतिधारण का अधिकार

ऋण चुकाने तक वस्तु रोक सकता है।

2. बिक्री का अधिकार

डिफॉल्ट होने पर उचित सूचना देकर वस्तु बेच सकता है।

3. खर्च प्राप्त करने का अधिकार

संरक्षण में हुए खर्च प्राप्त कर सकता है।

गिरवी रखने वाले (Pawnor) के अधिकार

1. वस्तु वापस पाने का अधिकार

2. अनुचित बिक्री पर हर्जाना पाने का अधिकार

निक्षेप और गिरवी में अंतर

आधार	निक्षेप	गिरवी
उद्देश्य	सामान्य उद्देश्य	ऋण की सुरक्षा
पक्षकार	Bailor एवं Bailee	Pawnor एवं Pawnee
अधिकार सीमित		बिक्री का अधिकार
उपयोग	मरम्मत, सुरक्षा	ऋण सुरक्षा

प्रमुख वाद (Case Laws)

1. Lallan Prasad v. Rahmat Ali

न्यायालय ने कहा कि गिरवीधारी वस्तु लौटाए बिना ऋण की वसूली नहीं कर सकता।

2. Bank of Bihar v. State of Bihar

इस वाद में गिरवीधारी के अधिकारों को स्पष्ट किया गया।

3. Halliday v. Holgate

न्यायालय ने गिरवी के सिद्धांतों की व्याख्या की।

निष्कर्ष

गिरवी अनुबंध ऋण और बैंकिंग व्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार है। यह ऋणदाता को सुरक्षा प्रदान करता है तथा व्यापारिक लेन-देन को सुरक्षित बनाता है।

Contract of Agency (एजेंसी अनुबंध) – 20 Marks

Important Questions (English)

1. What is a Contract of Agency? Explain its essentials and kinds.
2. Define Agency under the Indian Contract Act, 1872. Discuss the rights and duties of agent and principal.
3. Explain different modes of creation of Agency with case laws.
4. Distinguish between Agent and Servant.
5. एजेंसी अनुबंध क्या है? इसके आवश्यक तत्वों की व्याख्या कीजिए।

एजेंसी अनुबंध (Contract of Agency) परिचय

जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की ओर से कार्य करने अथवा उसे तृतीय पक्षों के साथ कानूनी संबंधों में प्रतिनिधित्व करने के लिए नियुक्त किया जाता है, तब उसे “एजेंसी” कहते हैं।

भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 की धारा 182 से 238 तक एजेंसी का वर्णन किया गया है। व्यापार और वाणिज्य में एजेंसी का अत्यधिक महत्व है।

परिभाषा (Definition) धारा 182 के अनुसार —

“एजेंट वह व्यक्ति है जिसे किसी अन्य व्यक्ति के लिए कार्य करने या तृतीय व्यक्तियों के साथ व्यवहार में उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए नियुक्त किया जाता है।”

जिस व्यक्ति के लिए कार्य किया जाता है, उसे “प्रधान” (Principal) कहते हैं।

पक्षकार (Parties)

1. प्रधान (Principal)

जो व्यक्ति एजेंट को नियुक्त करता है।

2. अभिकर्ता / एजेंट (Agent)

जो प्रधान की ओर से कार्य करता है।

3. तृतीय पक्ष (Third Party)

जिसके साथ एजेंट व्यवहार करता है।

उदाहरण

यदि A अपने माल को बेचने के लिए B को नियुक्त करता है, तो B एजेंट तथा A प्रधान कहलाएगा।

आवश्यक तत्व (Essentials of Agency)

1. प्रधान और एजेंट का होना

एजेंसी में कम से कम दो पक्ष आवश्यक हैं।

2. प्रतिनिधित्व का अधिकार

एजेंट को प्रधान की ओर से कार्य करने का अधिकार होना चाहिए।

3. वैध अनुबंध

एजेंसी वैध उद्देश्य हेतु होनी चाहिए।

4. सहमति

प्रधान और एजेंट की स्वतंत्र सहमति आवश्यक है।

5. प्रतिफल आवश्यक नहीं

एजेंसी बिना प्रतिफल के भी बनाई जा सकती है।

एजेंसी की रचना के प्रकार (Modes of Creation of Agency)

1. स्पष्ट एजेंसी (Express Agency)

जब एजेंसी स्पष्ट शब्दों द्वारा बनाई जाए।

2. निहित एजेंसी (Implied Agency)

जब परिस्थितियों से एजेंसी का अनुमान लगाया जाए।

3. आवश्यकता की एजेंसी (Agency by Necessity)

विशेष परिस्थिति में आवश्यकता के कारण उत्पन्न एजेंसी।

4. अनुमोदन द्वारा एजेंसी (Agency by Ratification)

जब प्रधान बाद में एजेंट के कार्य को स्वीकार कर ले।

5. प्रतिषेध द्वारा एजेंसी (Agency by Estoppel)

जब प्रधान अपने व्यवहार से एजेंसी का आभास उत्पन्न करे।

एजेंट के कर्तव्य (Duties of Agent)

1. निर्देशों का पालन करना

2. उचित कौशल और सावधानी रखना

3. लेखा प्रस्तुत करना

4. गुप्त लाभ न लेना

5. प्राप्त धन प्रधान को देना

एजेंट के अधिकार (Rights of Agent)

1. पारिश्रमिक प्राप्त करने का अधिकार
 2. व्ययों की प्रतिपूर्ति का अधिकार
 3. ग्रहणाधिकार (Lien)
 4. क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार
-

प्रधान के कर्तव्य (Duties of Principal)

- एजेंट को पारिश्रमिक देना
 - वैध कार्यों के लिए क्षतिपूर्ति देना
 - एजेंट के खर्चों की प्रतिपूर्ति करना
-

एजेंसी की समाप्ति (Termination of Agency)

1. अनुबंध की समाप्ति से
 2. कार्य पूर्ण होने पर
 3. प्रधान या एजेंट की मृत्यु से
 4. दिवालियापन से
 5. एजेंसी निरस्त करने से
-

एजेंट और सेवक में अंतर

आधार	एजेंट	सेवक
कार्य	प्रतिनिधित्व करता है	केवल सेवा करता है
कानूनी संबंध	तृतीय पक्ष से संबंध बना सकता है नहीं बना सकता	
स्वतंत्रता	अधिक	कम

आधार	एजेंट	सेवक
नियंत्रण	सीमित नियंत्रण	पूर्ण नियंत्रण

प्रमुख वाद (Case Laws)

1. Pannalal Jankidas v. Mohanlal

न्यायालय ने एजेंट के कर्तव्यों एवं ईमानदारी के सिद्धांत को स्पष्ट किया।

2. Freeman and Lockyer v. Buckhurst Park Properties

इस वाद में प्रतिषेध द्वारा एजेंसी (Agency by Estoppel) की व्याख्या की गई।

3. Keighley Maxsted & Co. v. Durant

इस वाद में अनुमोदन द्वारा एजेंसी (Agency by Ratification) के सिद्धांत स्पष्ट किए गए।

निष्कर्ष

एजेंसी अनुबंध आधुनिक व्यापार और वाणिज्य की महत्वपूर्ण व्यवस्था है। इसके माध्यम से व्यापारिक कार्य सरल एवं प्रभावी ढंग से संपन्न होते हैं। भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 की धाराएँ 182 से 238 एजेंसी संबंधी नियमों का विस्तृत वर्णन करती हैं।

Definition of Sale (विक्रय की परिभाषा) –

Important Questions (English)

1. Define Sale under the Sale of Goods Act, 1930.
2. What is a Contract of Sale? Explain its essentials.
3. Distinguish between Sale and Agreement to Sell.
4. विक्रय (Sale) क्या है? इसकी परिभाषा एवं आवश्यक तत्व बताइए।

विक्रय की परिभाषा (Definition of Sale) परिचय

विक्रय (Sale) व्यापारिक लेन-देन का एक महत्वपूर्ण भाग है। जब एक व्यक्ति किसी वस्तु का स्वामित्व मूल्य के बदले दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरित करता है, तो उसे विक्रय कहा जाता है।

भारत में विक्रय से संबंधित कानून Sale of Goods Act, 1930 द्वारा नियंत्रित होता है।

परिभाषा (Definition) Sale of Goods Act, 1930 की धारा 4 के अनुसार—

“जब विक्रेता (Seller) वस्तुओं का स्वामित्व क्रेता (Buyer) को मूल्य (Price) के बदले हस्तांतरित करता है या हस्तांतरित करने का वचन देता है, तब उसे विक्रय अनुबंध (Contract of Sale) कहते हैं।”

यदि स्वामित्व तुरंत हस्तांतरित हो जाता है, तो वह “विक्रय” (Sale) कहलाता है।

यदि हस्तांतरण भविष्य में होना हो, तो वह “विक्रय का करार” (Agreement to Sell) कहलाता है।

विक्रय के आवश्यक तत्व (Essentials of Sale)

1. दो पक्षों का होना

- विक्रेता (Seller)
- क्रेता (Buyer)

2. वस्तुओं का होना

केवल चल संपत्ति (Movable Goods) का विक्रय हो सकता है।

3. स्वामित्व का हस्तांतरण

वस्तु का स्वामित्व विक्रेता से क्रेता को हस्तांतरित होना चाहिए।

4. मूल्य (Price)

वस्तु का प्रतिफल धन (Money) के रूप में होना चाहिए।

5. वैध अनुबंध

अनुबंध भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 के अनुसार वैध होना चाहिए।

विक्रय और विक्रय के करार में अंतर

आधार	विक्रय (Sale)	विक्रय का करार (Agreement to Sell)
------	---------------	------------------------------------

स्वामित्व तुरंत हस्तांतरित भविष्य में हस्तांतरित

जोखिम	क्रेता पर	विक्रेता पर
-------	-----------	-------------

प्रकृति	पूर्ण अनुबंध	भविष्य का अनुबंध
---------	--------------	------------------

प्रमुख वाद (Case Laws)

1. Rowland v. Divall

इस वाद में न्यायालय ने कहा कि विक्रेता के पास वैध स्वामित्व होना आवश्यक है।

2. Varley v. Whipp

न्यायालय ने वस्तु के विवरण के अनुसार होने के सिद्धांत को स्पष्ट किया।

3. Tarling v. Baxter

इस वाद में जोखिम हस्तांतरण के सिद्धांत की व्याख्या की गई।

निष्कर्ष

विक्रय अनुबंध व्यापारिक व्यवस्था का आधार है। यह वस्तुओं के स्वामित्व के हस्तांतरण को कानूनी मान्यता देता है तथा क्रेता और विक्रेता दोनों के अधिकारों की रक्षा करता है।

Essentials of Contract of Sale and Agreement to Sell

Important Questions (English)

1. Explain the essentials of Contract of Sale under the Sale of Goods Act, 1930.
2. Distinguish between Sale and Agreement to Sell.
3. What is Agreement to Sell? Explain its legal effects.
4. विक्रय अनुबंध एवं विक्रय के करार के आवश्यक तत्वों की व्याख्या कीजिए।
5. Sale and Agreement to Sell में अंतर स्पष्ट कीजिए।

विक्रय अनुबंध (Contract of Sale) परिचय

Sale of Goods Act, 1930 की धारा 4 के अनुसार जब वस्तुओं का स्वामित्व मूल्य के बदले एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरित किया जाता है, तब उसे विक्रय अनुबंध कहते हैं।

यदि स्वामित्व तुरंत हस्तांतरित हो जाए तो वह "Sale" कहलाता है और यदि भविष्य में हस्तांतरण होना हो तो वह "Agreement to Sell" कहलाता है।

विक्रय अनुबंध के आवश्यक तत्व (Essentials of Contract of Sale)

1. दो पक्षों का होना

विक्रय अनुबंध में दो पक्ष आवश्यक होते हैं—

- विक्रेता (Seller)

- क्रेता (Buyer)

दोनों अलग-अलग व्यक्ति होने चाहिए।

2. वस्तुओं (Goods) का होना

अनुबंध का विषय केवल चल संपत्ति (Movable Property) हो सकती है।

अचल संपत्ति विक्रय अनुबंध के अंतर्गत नहीं आती।

3. स्वामित्व का हस्तांतरण

विक्रेता से क्रेता को वस्तु का स्वामित्व हस्तांतरित होना चाहिए।

4. मूल्य (Price)

वस्तु का प्रतिफल धन (Money) के रूप में होना चाहिए।

यदि वस्तु के बदले वस्तु दी जाए तो वह विक्रय नहीं बल्कि विनिमय (Barter) कहलाता है।

5. वैध अनुबंध

विक्रय अनुबंध भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 की धारा 10 के अनुसार वैध होना चाहिए।

6. सहमति (Consent)

दोनों पक्षों की स्वतंत्र सहमति आवश्यक है।

7. वस्तु का वैध होना

विक्रय की वस्तु वैध होनी चाहिए।

विक्रय का करार (Agreement to Sell)

जब वस्तुओं का स्वामित्व भविष्य में या किसी शर्त के पूर्ण होने पर हस्तांतरित किया जाना हो, तब उसे "Agreement to Sell" कहते हैं।

उदाहरण

यदि A, B से कहता है कि वह अपनी कार अगले महीने ₹5 लाख में बेचेगा, तो यह Agreement to Sell होगा।

Agreement to Sell के आवश्यक तत्व

1. भविष्य में स्वामित्व का हस्तांतरण
2. शर्तों का पूर्ण होना
3. वैध प्रतिफल
4. वैध अनुबंध
5. पक्षकारों की स्वतंत्र सहमति

Sale और Agreement to Sell में अंतर

आधार	Sale	Agreement to Sell
स्वामित्व तुरंत हस्तांतरित	भविष्य में हस्तांतरण	
जोखिम क्रेता पर	विक्रेता पर	
प्रकृति पूर्ण विक्रय	भविष्य का वचन	
अधिकार वास्तविक अधिकार	व्यक्तिगत अधिकार	
उल्लंघन वस्तु हेतु दावा संभव केवल हर्जाना		

प्रमुख वाद (Case Laws)

1. Rowland v. Divall

न्यायालय ने कहा कि विक्रेता के पास वैध स्वामित्व होना आवश्यक है।

2. Tarling v. Baxter

इस वाद में जोखिम हस्तांतरण के सिद्धांत को स्पष्ट किया गया।

3. Varley v. Whipp

न्यायालय ने वस्तु के विवरण के अनुसार होने के सिद्धांत की व्याख्या की।

निष्कर्ष

विक्रय अनुबंध व्यापार और वाणिज्य का आधार है। “Sale” एवं “Agreement to Sell” दोनों वस्तुओं के हस्तांतरण से संबंधित हैं, किंतु स्वामित्व और जोखिम के हस्तांतरण के आधार पर दोनों में महत्वपूर्ण अंतर है।

Duties of Sellers and Buyers –

Important Questions (English)

1. Explain the duties of Seller and Buyer under the Sale of Goods Act, 1930.
2. Discuss the obligations of buyer and seller in a contract of sale.
3. What are the duties of an unpaid seller and buyer?
4. विक्रेता एवं क्रेता के कर्तव्यों की व्याख्या कीजिए।
5. Sale of Goods Act, 1930 के अंतर्गत विक्रेता और क्रेता के दायित्व बताइए।

विक्रेता एवं क्रेता के कर्तव्य (Duties of Sellers and Buyers) परिचय

Sale of Goods Act, 1930 के अंतर्गत विक्रेता (Seller) और क्रेता (Buyer) दोनों के कुछ अधिकार एवं कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं। इन कर्तव्यों का पालन व्यापारिक लेन-देन को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाता है।

विक्रेता के कर्तव्य (Duties of Seller)

1. वस्तुओं की आपूर्ति करना

विक्रेता का मुख्य कर्तव्य अनुबंध के अनुसार वस्तुओं की डिलीवरी देना है।

2. वस्तुओं का स्वामित्व हस्तांतरित करना

विक्रेता को वस्तुओं का वैध स्वामित्व क्रेता को देना चाहिए।

3. वस्तु अनुबंध के अनुरूप हो

विक्रेता को वही वस्तु देनी चाहिए जिसका वर्णन अनुबंध में किया गया हो।

4. दोषों की जानकारी देना

यदि वस्तु में कोई छिपा हुआ दोष हो तो विक्रेता को उसकी जानकारी देनी चाहिए।

5. उचित समय और स्थान पर डिलीवरी देना

विक्रेता को निर्धारित समय एवं स्थान पर वस्तु प्रदान करनी चाहिए।

6. वस्तुओं की देखभाल करना

डिलीवरी तक वस्तुओं की उचित सुरक्षा करना विक्रेता का कर्तव्य है।

क्रेता के कर्तव्य (Duties of Buyer)

1. मूल्य का भुगतान करना

क्रेता का मुख्य कर्तव्य वस्तु का मूल्य चुकाना है।

2. वस्तु स्वीकार करना

क्रेता को अनुबंधानुसार वस्तु स्वीकार करनी चाहिए।

3. डिलीवरी लेना

क्रेता को उचित समय पर वस्तुओं की डिलीवरी ग्रहण करनी चाहिए।

4. अनुचित अस्वीकृति न करना

यदि वस्तु अनुबंध के अनुरूप है तो क्रेता उसे अस्वीकार नहीं कर सकता।

5. विक्रेता को हानि न पहुँचाना

क्रेता को ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे विक्रेता को अनावश्यक हानि हो।

विक्रेता और क्रेता के पारस्परिक दायित्व

विक्रेता के कर्तव्य क्रेता के कर्तव्य

वस्तु देना

मूल्य देना

स्वामित्व हस्तांतरण वस्तु स्वीकार करना

दोष बताना

डिलीवरी लेना

सुरक्षा करना

अनुबंध का पालन करना

प्रमुख वाद (Case Laws)

1. Rowland v. Divall

न्यायालय ने कहा कि विक्रेता के पास वैध स्वामित्व होना आवश्यक है।

2. Varley v. Whipp

इस वाद में वस्तु के विवरण के अनुसार होने के सिद्धांत को स्पष्ट किया गया।

3. Priest v. Last

न्यायालय ने वस्तु की गुणवत्ता और उपयुक्तता संबंधी दायित्व स्पष्ट किए।

निष्कर्ष

विक्रेता और क्रेता दोनों के कर्तव्य व्यापारिक अनुबंध की सफलता के लिए आवश्यक हैं। इन कर्तव्यों के पालन से व्यापारिक विश्वास बना रहता है तथा विवादों में कमी आती है।

Sale by Sample (नमूने द्वारा विक्रय) –

Important Questions (English)

1. What is Sale by Sample? Explain its essentials.
2. Define Sale by Sample under the Sale of Goods Act, 1930.
3. Explain the implied conditions in a Sale by Sample.
4. नमूने द्वारा विक्रय क्या है? इसके आवश्यक तत्वों की व्याख्या कीजिए।
5. Distinguish between Sale by Sample and Sale by Description.

नमूने द्वारा विक्रय (Sale by Sample)

परिचय

जब विक्रेता क्रेता को वस्तु का एक नमूना (Sample) दिखाकर उसी प्रकार की वस्तु बेचने का अनुबंध करता है, तो उसे “नमूने द्वारा विक्रय” कहा जाता है।

ऐसे विक्रय में क्रेता नमूने को देखकर यह विश्वास करता है कि पूरी वस्तु उसी गुणवत्ता और प्रकार की होगी।

Sale of Goods Act, 1930 की धारा 17 में नमूने द्वारा विक्रय का प्रावधान किया गया है।

परिभाषा (Definition)

जब विक्रय अनुबंध में यह स्पष्ट या निहित हो कि बिक्री नमूने के आधार पर की गई है, तब वह Sale by Sample कहलाती है।

आवश्यक तत्व (Essentials of Sale by Sample)

1. नमूना प्रस्तुत किया जाना

विक्रेता द्वारा क्रेता को वस्तु का नमूना दिखाया जाना आवश्यक है।

2. वस्तु नमूने के अनुरूप हो

पूरी वस्तु गुणवत्ता, प्रकार एवं अवस्था में नमूने के समान होनी चाहिए।

3. निरीक्षण का अवसर

क्रेता को वस्तुओं का निरीक्षण करने का उचित अवसर मिलना चाहिए।

4. छिपे दोष न हों

वस्तु में ऐसा कोई छिपा दोष नहीं होना चाहिए जो सामान्य निरीक्षण से पता न चले।

नमूने द्वारा विक्रय में निहित शर्तें

(Implied Conditions in Sale by Sample)

1. वस्तु नमूने के अनुरूप होगी

संपूर्ण वस्तु नमूने की गुणवत्ता और प्रकार से मेल खानी चाहिए।

2. निरीक्षण का उचित अवसर

क्रेता को वस्तुओं की जाँच का उचित अवसर दिया जाना चाहिए।

3. छिपे दोषों से मुक्त होना

वस्तु में ऐसे छिपे दोष नहीं होने चाहिए जो उसे अनुपयोगी बनाते हों।

उदाहरण

यदि A, B को कपड़े का एक नमूना दिखाकर 100 मीटर कपड़ा बेचता है और बाद में दिया गया कपड़ा नमूने से भिन्न निकलता है, तो B अनुबंध समाप्त कर सकता है।

Sale by Sample और Sale by Description में अंतर

आधार	Sale by Sample	Sale by Description
आधार	नमूना देखकर खरीद	विवरण देखकर खरीद
निरीक्षण	नमूना दिखाया जाता है	विवरण दिया जाता है
मुख्य तत्व	नमूने से समानता	विवरण से समानता

प्रमुख वाद (Case Laws)

1. Drummond v. Van Ingen

न्यायालय ने कहा कि वस्तु नमूने के अनुरूप होनी चाहिए।

2. Godley v. Perry

इस वाद में छिपे दोष (Latent Defect) के सिद्धांत को स्पष्ट किया गया।

3. Varley v. Whipp

न्यायालय ने वस्तु के वर्णन एवं गुणवत्ता के सिद्धांत की व्याख्या की।

निष्कर्ष

नमूने द्वारा विक्रय व्यापारिक लेन-देन में अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसमें विक्रेता पर यह दायित्व होता है कि वह नमूने के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण वस्तु प्रदान करे, जिससे क्रेता के हितों की रक्षा हो सके।

Sale by Description (विवरण द्वारा विक्रय) –

Important Questions (English)

1. What is Sale by Description? Explain its essentials.
 2. Define Sale by Description under the Sale of Goods Act, 1930.
 3. Explain the implied conditions in a Sale by Description.
 4. विवरण द्वारा विक्रय क्या है? इसके आवश्यक तत्वों की व्याख्या कीजिए।
 5. Distinguish between Sale by Sample and Sale by Description.
-

विवरण द्वारा विक्रय (Sale by Description) परिचय

जब वस्तुओं का विक्रय उनके विवरण (Description) के आधार पर किया जाता है, तब उसे “विवरण द्वारा विक्रय” कहा जाता है।

ऐसे मामलों में क्रेता वस्तु को देखे बिना केवल उसके वर्णन, गुणवत्ता, प्रकार या विशेषताओं के आधार पर खरीद करता है।

Sale of Goods Act, 1930 की धारा 15 में इसका प्रावधान किया गया है।

परिभाषा (Definition)

जब विक्रय अनुबंध में वस्तु का वर्णन दिया जाता है और क्रेता उसी विवरण पर विश्वास करके वस्तु खरीदता है, तब वह Sale by Description कहलाती है।

आवश्यक तत्व (Essentials of Sale by Description)

1. वस्तु का विवरण होना

विक्रेता द्वारा वस्तु का स्पष्ट विवरण दिया जाना चाहिए।

2. क्रेता का विवरण पर विश्वास

क्रेता वस्तु को उसी विवरण के आधार पर खरीदता है।

3. वस्तु का विवरण के अनुरूप होना

विक्रेता द्वारा दी गई वस्तु उसी प्रकार और गुणवत्ता की होनी चाहिए जैसा वर्णन किया गया हो।

4. अनुबंध का वैध होना

विक्रय अनुबंध वैध एवं कानूनी होना चाहिए।

विवरण द्वारा विक्रय में निहित शर्तें

(Implied Conditions in Sale by Description)

1. वस्तु विवरण के अनुरूप हो

यदि वस्तु विवरण से भिन्न हो तो क्रेता उसे अस्वीकार कर सकता है।

2. गुणवत्ता एवं प्रकार सही हो

वस्तु वही गुणवत्ता और प्रकार की होनी चाहिए जिसका वर्णन किया गया हो।

3. व्यापारिक उपयोग के योग्य हो

वस्तु व्यापारिक उपयोग के लिए उपयुक्त होनी चाहिए।

उदाहरण

यदि A, B को “शुद्ध चमड़े का बैग” बताकर बैग बेचता है और बाद में वह कृत्रिम चमड़े का निकलता है, तो B अनुबंध समाप्त कर सकता है।

Sale by Description और Sale by Sample में अंतर

आधार	Sale by Description	Sale by Sample
आधार	विवरण पर आधारित	नमूने पर आधारित
निरीक्षण	वस्तु देखना आवश्यक नहीं	नमूना दिखाया जाता है
मुख्य तत्व	विवरण से समानता	नमूने से समानता

प्रमुख वाद (Case Laws)

1. Varley v. Whipp

न्यायालय ने कहा कि वस्तु विवरण के अनुरूप होनी चाहिए।

2. Beale v. Taylor

इस वाद में गलत विवरण देने पर विक्रेता को उत्तरदायी माना गया।

3. Nichol v. Godts

न्यायालय ने विवरण के अनुसार वस्तु देने की बाध्यता स्पष्ट की।

निष्कर्ष

विवरण द्वारा विक्रय आधुनिक व्यापार में अत्यंत महत्वपूर्ण है, विशेषकर ऑनलाइन और दूरस्थ व्यापार में। इसमें विक्रेता पर यह दायित्व होता है कि वह विवरण के अनुसार सही वस्तु प्रदान करे ताकि क्रेता के हितों की रक्षा हो सके।

Conditions and Warranties –

Important Questions (English)

1. Define Condition and Warranty under the Sale of Goods Act, 1930.
2. Distinguish between Condition and Warranty.
3. Explain the implied conditions and warranties in a contract of sale.
4. What are the remedies available for breach of condition and breach of warranty?
5. शर्त (Condition) एवं आश्वासन (Warranty) में अंतर स्पष्ट कीजिए।

शर्त एवं आश्वासन (Conditions and Warranties) परिचय

Sale of Goods Act, 1930 के अंतर्गत विक्रय अनुबंध में कुछ शर्तें एवं आश्वासन निहित होते हैं। ये क्रेता और विक्रेता के अधिकारों एवं दायित्वों को निर्धारित करते हैं।

धारा 12 के अनुसार विक्रय अनुबंध की शर्तें दो प्रकार की होती हैं—

1. Condition (शर्त)
2. Warranty (आश्वासन)

शर्त (Condition)

परिभाषा

शर्त वह आवश्यक उपबंध है जो अनुबंध के मुख्य उद्देश्य से संबंधित होता है। इसके उल्लंघन पर पीड़ित पक्ष अनुबंध समाप्त कर सकता है।

उदाहरण

यदि कोई व्यक्ति “नई कार” खरीदता है और उसे पुरानी कार दी जाती है, तो यह शर्त का उल्लंघन होगा।

आश्वासन (Warranty) परिभाषा

आश्वासन वह गौण उपबंध है जो अनुबंध के मुख्य उद्देश्य से संबंधित नहीं होता। इसके उल्लंघन पर केवल हर्जाना प्राप्त किया जा सकता है।

उदाहरण

यदि कार के साथ दिया गया म्यूजिक सिस्टम खराब हो, तो यह Warranty का उल्लंघन होगा।

शर्त एवं आश्वासन में अंतर

आधार	Condition (शर्त)	Warranty (आश्वासन)
महत्व	मुख्य उपबंध	सहायक उपबंध
उल्लंघन का प्रभाव अनुबंध समाप्त हो सकता है		केवल हर्जाना
उद्देश्य	अनुबंध का मूल आधार	गौण उद्देश्य
अधिकार	वस्तु अस्वीकार कर सकता है	केवल क्षतिपूर्ति

निहित शर्तें (Implied Conditions)

1. स्वामित्व संबंधी शर्त

विक्रेता के पास वस्तु बेचने का अधिकार होना चाहिए।

2. विवरण के अनुसार विक्रय

वस्तु विवरण के अनुरूप होनी चाहिए।

3. नमूने के अनुसार विक्रय

वस्तु नमूने के अनुरूप होनी चाहिए।

4. गुणवत्ता एवं उपयुक्तता

वस्तु उपयोग के लिए उपयुक्त होनी चाहिए।

5. व्यापारिक गुणवत्ता

वस्तु व्यापारिक गुणवत्ता की होनी चाहिए।

निहित आश्वासन (Implied Warranties)

1. शांतिपूर्ण कब्जे का आश्वासन

क्रेता को वस्तु का शांतिपूर्ण उपयोग प्राप्त होना चाहिए।

2. भारमुक्त वस्तु का आश्वासन

वस्तु पर किसी तीसरे पक्ष का अधिकार नहीं होना चाहिए।

शर्त का आश्वासन में परिवर्तन

(Condition treated as Warranty)

कुछ परिस्थितियों में शर्त का उल्लंघन केवल आश्वासन के उल्लंघन के समान माना जाता है—

1. जब क्रेता स्वयं ऐसा स्वीकार करे
 2. जब अनुबंध विभाज्य हो और वस्तु स्वीकार कर ली गई हो
 3. जब शर्त पूरी करना असंभव हो
-

उल्लंघन के उपचार (Remedies)

शर्त के उल्लंघन पर

- अनुबंध समाप्त करना
- वस्तु अस्वीकार करना
- हर्जाना प्राप्त करना

आश्वासन के उल्लंघन पर

- केवल हर्जाना प्राप्त करना

प्रमुख वाद (Case Laws)

1. Poussard v. Spiers

इस वाद में मुख्य शर्त के उल्लंघन को स्पष्ट किया गया।

2. Bettini v. Gye

न्यायालय ने Warranty के उल्लंघन के सिद्धांत को स्पष्ट किया।

3. Rowland v. Divall

इस वाद में स्वामित्व संबंधी शर्त की व्याख्या की गई।

4. Priest v. Last

न्यायालय ने गुणवत्ता एवं उपयुक्तता संबंधी शर्तों को स्पष्ट किया।

निष्कर्ष

शर्त एवं आश्वासन विक्रय अनुबंध के महत्वपूर्ण तत्व हैं। ये क्रेता के हितों की रक्षा करते हैं तथा व्यापारिक लेन-देन में विश्वास बनाए रखते हैं। शर्त का उल्लंघन गंभीर माना जाता है जबकि आश्वासन का उल्लंघन अपेक्षाकृत कम महत्वपूर्ण होता है।

Rule of Caveat Emptor –

Important Questions (English)

1. Explain the Rule of Caveat Emptor under the Sale of Goods Act, 1930.
2. What is the meaning of “Caveat Emptor”? Discuss its exceptions.
3. Define the doctrine of Caveat Emptor with case laws.
4. Explain the exceptions to the Rule of Caveat Emptor.
5. “Let the buyer beware.” Discuss this statement under the Sale of Goods Act, 1930.

Caveat Emptor का सिद्धांत (Buyer Beware Rule) परिचय

Sale of Goods Act, 1930 के अंतर्गत “Caveat Emptor” का सिद्धांत अत्यंत महत्वपूर्ण है।

“Caveat Emptor” एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है—

“क्रेता सावधान रहे” (Let the Buyer Beware)

इस सिद्धांत के अनुसार वस्तु खरीदते समय वस्तु की गुणवत्ता, उपयुक्तता एवं उपयोगिता की जांच करना क्रेता का कर्तव्य है। यदि वस्तु बाद में अनुपयुक्त निकलती है, तो सामान्यतः विक्रेता उत्तरदायी नहीं होगा।

परिभाषा (Meaning)

जब कोई व्यक्ति वस्तु खरीदता है, तो उसे स्वयं यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वस्तु उसकी आवश्यकता के अनुरूप है। यदि वह बिना जांच के वस्तु खरीदता है, तो बाद में दोष मिलने पर वह विक्रेता को उत्तरदायी नहीं ठहरा सकता।

उद्देश्य

इस सिद्धांत का उद्देश्य व्यापारिक लेन-देन में सावधानी एवं सतर्कता बनाए रखना है।

उदाहरण

यदि A बिना जांच किए B से एक मशीन खरीदता है और बाद में मशीन उसकी आवश्यकता के अनुरूप नहीं निकलती, तो सामान्यतः A विक्रेता से शिकायत नहीं कर सकता।

Caveat Emptor के अपवाद

(Exceptions to the Rule of Caveat Emptor)

1. उद्देश्य बताने पर

(Fitness for Buyer's Purpose)

यदि क्रेता विक्रेता को अपना उद्देश्य बताता है और विक्रेता के कौशल पर विश्वास करता है, तो वस्तु उपयुक्त होनी चाहिए।

2. व्यापारिक गुणवत्ता

(Merchantable Quality)

यदि वस्तु व्यापारिक गुणवत्ता की नहीं है, तो विक्रेता उत्तरदायी होगा।

3. विवरण द्वारा विक्रय

(Sale by Description)

वस्तु विवरण के अनुसार होनी चाहिए।

4. नमूने द्वारा विक्रय

(Sale by Sample)

वस्तु नमूने के अनुरूप होनी चाहिए।

5. धोखाधड़ी (Fraud)

यदि विक्रेता धोखाधड़ी या तथ्य छिपाता है, तो वह उत्तरदायी होगा।

6. प्रथा या व्यापारिक रिवाज

(Usage of Trade)

यदि व्यापारिक प्रथा के अनुसार कोई शर्त लागू होती है, तो विक्रेता उसका पालन करेगा।

Caveat Emptor का महत्व

- व्यापारिक सावधानी को बढ़ावा देता है
 - क्रेता को जागरूक बनाता है
 - अनावश्यक विवाद कम करता है
-

प्रमुख वाद (Case Laws)

1. Priest v. Last

इस वाद में न्यायालय ने कहा कि यदि क्रेता विक्रेता के कौशल पर विश्वास करता है, तो वस्तु उपयोग हेतु उपयुक्त होनी चाहिए।

2. Grant v. Australian Knitting Mills

न्यायालय ने व्यापारिक गुणवत्ता (Merchantable Quality) के सिद्धांत को स्पष्ट किया।

3. Varley v. Whipp

इस वाद में विवरण द्वारा विक्रय के सिद्धांत की व्याख्या की गई।

4. Godley v. Perry

न्यायालय ने छिपे दोषों के लिए विक्रेता की जिम्मेदारी स्पष्ट की।

निष्कर्ष

Caveat Emptor का सिद्धांत विक्रय अनुबंध का मूल सिद्धांत है, जिसके अनुसार क्रेता को वस्तु खरीदते समय सावधानी बरतनी चाहिए। हालांकि आधुनिक व्यापार में उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा हेतु इसके कई महत्वपूर्ण अपवाद विकसित किए गए हैं।

Transfer of Title –

Important Questions (English)

1. Explain the rules relating to Transfer of Title under the Sale of Goods Act, 1930.
2. What do you understand by Transfer of Ownership in a contract of sale?
3. Explain the rule “Nemo Dat Quod Non Habet” and its exceptions.
4. Discuss the provisions relating to transfer of title by non-owner.
5. स्वामित्व के हस्तांतरण (Transfer of Title) के नियमों की व्याख्या कीजिए।

स्वामित्व का हस्तांतरण

(Transfer of Title)

परिचय

Sale of Goods Act, 1930 के अंतर्गत “Transfer of Title” का अर्थ वस्तुओं के स्वामित्व (Ownership) का विक्रेता से क्रेता को हस्तांतरण है।

विक्रय अनुबंध में यह जानना महत्वपूर्ण होता है कि वस्तु का स्वामित्व कब और कैसे हस्तांतरित हुआ, क्योंकि इसके साथ ही जोखिम (Risk) भी सामान्यतः क्रेता पर चला जाता है।

स्वामित्व हस्तांतरण का सामान्य नियम

Nemo Dat Quod Non Habet

यह लैटिन सिद्धांत है जिसका अर्थ है—

“कोई व्यक्ति उससे बेहतर अधिकार हस्तांतरित नहीं कर सकता जो उसके पास स्वयं नहीं है।”

अर्थात् यदि विक्रेता स्वयं वस्तु का स्वामी नहीं है, तो वह क्रेता को वैध स्वामित्व नहीं दे सकता।

स्वामित्व हस्तांतरण के नियम

(Rules of Transfer of Title)

1. विशिष्ट वस्तुओं का हस्तांतरण

(Specific Goods)

यदि वस्तुएँ विशिष्ट एवं निश्चित अवस्था में हैं, तो अनुबंध होते ही स्वामित्व हस्तांतरित हो जाता है।

2. अनिश्चित वस्तुएँ

(Unascertained Goods)

जब तक वस्तुओं की पहचान और पृथक्करण नहीं हो जाता, स्वामित्व हस्तांतरित नहीं होता।

3. भविष्य की वस्तुएँ

(Future Goods)

भविष्य में बनने वाली वस्तुओं का स्वामित्व वस्तु के अस्तित्व में आने पर ही हस्तांतरित होता है।

4. शर्तों के अधीन हस्तांतरण

यदि अनुबंध में कोई शर्त हो, तो उसके पूर्ण होने पर ही स्वामित्व हस्तांतरित होगा।

गैर-स्वामी द्वारा स्वामित्व हस्तांतरण के अपवाद

(Exceptions to Nemo Dat Rule)

1. प्रतिषेध द्वारा

(Transfer by Estoppel)

यदि वास्तविक स्वामी अपने व्यवहार से किसी को स्वामी प्रतीत होने देता है।

2. व्यापारिक अभिकर्ता द्वारा विक्रय

(Sale by Mercantile Agent)

यदि एजेंट स्वामी की अनुमति से कब्जे में है।

3. संयुक्त स्वामी द्वारा विक्रय

(Sale by Joint Owner)

जब एक संयुक्त स्वामी वस्तु के कब्जे में हो।

4. शून्यकरणीय अनुबंध के अंतर्गत विक्रय

(Sale under Voidable Contract)

यदि अनुबंध निरस्त होने से पहले वस्तु बेच दी जाए।

5. अप्रदत्त विक्रेता द्वारा पुनर्विक्रय

(Sale by Unpaid Seller)

कुछ परिस्थितियों में अप्रदत्त विक्रेता पुनः विक्रय कर सकता है।

जोखिम और स्वामित्व

(Risk and Ownership)

सामान्य नियम—

“Risk follows ownership.”

अर्थात् वस्तु का जोखिम उसी व्यक्ति पर होगा जो उसका स्वामी है।

उदाहरण

यदि A अपनी कार B को बेच देता है और स्वामित्व हस्तांतरित हो जाता है, तो बाद में दुर्घटना होने पर जोखिम B पर होगा।

प्रमुख वाद (Case Laws)

1. Rowland v. Divall

न्यायालय ने कहा कि विक्रेता के पास वैध स्वामित्व होना आवश्यक है।

2. Cundy v. Lindsay

इस वाद में गैर-स्वामी द्वारा विक्रय के सिद्धांत को स्पष्ट किया गया।

3. Folkes v. King

न्यायालय ने प्रतिषेध (Estoppel) के सिद्धांत की व्याख्या की।

4. Lewis v. Averay

इस वाद में शून्यकरणीय अनुबंध के अंतर्गत विक्रय का सिद्धांत स्पष्ट किया गया।

निष्कर्ष

स्वामित्व का हस्तांतरण विक्रय अनुबंध का अत्यंत महत्वपूर्ण भाग है। इससे यह निर्धारित होता है कि वस्तु पर अधिकार और जोखिम किसके पास होगा। “Nemo Dat Quod Non Habet” का सिद्धांत क्रेता एवं वास्तविक स्वामी दोनों के हितों की रक्षा करता है।

Passing of Property in Goods –

Important Questions (English)

1. Explain the rules relating to Passing of Property in Goods under the Sale of Goods Act, 1930.
2. When does the ownership in goods pass from seller to buyer?
3. Discuss the rules regarding transfer of ownership in specific and unascertained goods.
4. Distinguish between Passing of Property and Transfer of Possession.
5. वस्तुओं में स्वामित्व के हस्तांतरण (Passing of Property in Goods) के नियमों की व्याख्या कीजिए।

वस्तुओं में स्वामित्व का हस्तांतरण (Passing of Property in Goods) परिचय

Sale of Goods Act, 1930 के अंतर्गत “Passing of Property” का अर्थ है वस्तुओं के स्वामित्व (Ownership) का विक्रेता से क्रेता को हस्तांतरण।

यह जानना महत्वपूर्ण है कि स्वामित्व कब हस्तांतरित हुआ, क्योंकि इसके साथ ही जोखिम (Risk), लाभ तथा दायित्व भी सामान्यतः क्रेता पर चले जाते हैं।

सामान्य सिद्धांत

“Risk follows Ownership”

अर्थात् वस्तुओं का जोखिम उसी व्यक्ति पर होता है जो उनका स्वामी होता है।

स्वामित्व हस्तांतरण के नियम

(Rules Regarding Passing of Property)

1. विशिष्ट वस्तुएँ एवं सुपुर्द योग्य अवस्था

(Specific Goods in Deliverable State)

यदि वस्तुएँ विशिष्ट हैं और सुपुर्द योग्य अवस्था में हैं, तो अनुबंध होते ही स्वामित्व हस्तांतरित हो जाता है।

2. विशिष्ट वस्तुएँ लेकिन सुपुर्द योग्य अवस्था में नहीं

(Specific Goods not in Deliverable State)

यदि विक्रेता को वस्तुओं को सुपुर्द योग्य बनाने हेतु कुछ कार्य करना है, तो कार्य पूर्ण होने एवं सूचना दिए जाने के बाद स्वामित्व हस्तांतरित होगा।

3. मूल्य निर्धारित करने हेतु कार्य शेष हो

(Goods to be weighed or measured)

यदि वस्तुओं का मूल्य निर्धारण वजन, माप या परीक्षण पर निर्भर हो, तो वह कार्य पूरा होने के बाद स्वामित्व हस्तांतरित होगा।

4. अनुमोदन पर वस्तुएँ

(Goods sent on Approval)

यदि वस्तुएँ अनुमोदन हेतु भेजी गई हैं, तो—

- स्वीकृति देने पर, या
 - निर्धारित समय बीतने पर स्वामित्व हस्तांतरित हो जाता है।
-

5. अनिश्चित वस्तुएँ

(Unascertained Goods)

जब तक वस्तुओं की पहचान एवं पृथक्करण नहीं हो जाता, स्वामित्व हस्तांतरित नहीं होता।

विशिष्ट एवं अनिश्चित वस्तुओं में अंतर

आधार	विशिष्ट वस्तुएँ	अनिश्चित वस्तुएँ
पहचान	पहले से निश्चित	बाद में निश्चित
स्वामित्व हस्तांतरण	तुरंत संभव	पृथक्करण के बाद
उदाहरण	विशेष कार	गोदाम का सामान्य माल

स्वामित्व हस्तांतरण का महत्व

1. जोखिम निर्धारण
2. हानि का दायित्व
3. बीमा अधिकार
4. विक्रेता एवं क्रेता के अधिकारों का निर्धारण

उदाहरण

यदि A, B को एक विशेष कार बेचता है और अनुबंध पूर्ण हो जाता है, तो स्वामित्व तुरंत B को हस्तांतरित हो जाएगा।

प्रमुख वाद (Case Laws)

1. Tarling v. Baxter

न्यायालय ने कहा कि स्वामित्व हस्तांतरण के साथ जोखिम भी क्रेता पर चला जाता है।

2. Carlos Federspiel & Co. v. Charles Twigg & Co.

इस वाद में अनिश्चित वस्तुओं के पृथक्करण के सिद्धांत को स्पष्ट किया गया।

3. Healey v. Howlett & Sons

न्यायालय ने वस्तुओं की पहचान एवं स्वामित्व हस्तांतरण के नियम स्पष्ट किए।

4. Dennant v. Skinner

इस वाद में सुपुर्द योग्य अवस्था के सिद्धांत की व्याख्या की गई।

निष्कर्ष

वस्तुओं में स्वामित्व का हस्तांतरण विक्रय अनुबंध का अत्यंत महत्वपूर्ण भाग है। इससे यह निर्धारित होता है कि वस्तु पर अधिकार, जोखिम एवं दायित्व किसके पास होंगे। Sale of Goods Act, 1930 इस संबंध में विस्तृत नियम प्रदान करता है।

Delivery of Goods –

Important Questions (English)

1. Explain the rules relating to Delivery of Goods under the Sale of Goods Act, 1930.
2. What is meant by Delivery of Goods? Discuss its kinds.
3. Explain the rights and duties of buyer and seller regarding delivery of goods.
4. Distinguish between Actual Delivery and Constructive Delivery.
5. वस्तुओं की सुपुर्दगी (Delivery of Goods) के नियमों की व्याख्या कीजिए।

वस्तुओं की सुपुर्दगी

(Delivery of Goods)

परिचय

Sale of Goods Act, 1930 के अंतर्गत “Delivery of Goods” का अर्थ वस्तुओं के कब्जे (Possession) का विक्रेता से क्रेता को हस्तांतरण है।

विक्रय अनुबंध में सुपुर्दगी अत्यंत महत्वपूर्ण होती है क्योंकि इसके माध्यम से क्रेता को वस्तुओं का वास्तविक नियंत्रण प्राप्त होता है।

परिभाषा (Definition)

धारा 2(2) के अनुसार—

“Delivery means voluntary transfer of possession from one person to another.”

अर्थात् एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को स्वेच्छा से कब्जे का हस्तांतरण सुपुर्दगी कहलाता है।

सुपुर्दगी के प्रकार

(Types of Delivery)

1. वास्तविक सुपुर्दगी

(Actual Delivery)

जब वस्तुओं का वास्तविक कब्जा क्रेता को दे दिया जाए।

उदाहरण:

A, B को कार की चाबी और कार सौंप देता है।

2. प्रतीकात्मक सुपुर्दगी

(Symbolic Delivery)

जब वस्तुओं के स्थान पर कोई प्रतीक सौंपा जाए।

उदाहरण:

गोदाम की चाबी सौंपना।

3. रचनात्मक सुपुर्दगी

(Constructive Delivery)

जब तीसरा व्यक्ति क्रेता के पक्ष में कब्जा स्वीकार कर ले।

Example:

गोदाम मालिक यह स्वीकार करे कि अब वह माल क्रेता की ओर से रखेगा।

सुपुर्दगी से संबंधित नियम

(Rules Regarding Delivery)

1. सुपुर्दगी अनुबंधानुसार हो

विक्रेता को अनुबंध के अनुसार वस्तुएँ देनी चाहिए।

2. उचित समय पर सुपुर्दगी

यदि समय निर्धारित न हो तो उचित समय में सुपुर्दगी दी जानी चाहिए।

3. उचित स्थान पर सुपुर्दगी

यदि स्थान निर्धारित न हो तो वस्तुएँ वहीं दी जाएँगी जहाँ वे अनुबंध के समय स्थित थीं।

4. मांग पर सुपुर्दगी

कुछ मामलों में विक्रेता केवल मांग किए जाने पर सुपुर्दगी देने के लिए बाध्य होता है।

5. आंशिक सुपुर्दगी

(Part Delivery)

आंशिक सुपुर्दगी कुछ परिस्थितियों में पूर्ण सुपुर्दगी मानी जा सकती है।

6. गलत मात्रा की सुपुर्दगी

(Wrong Quantity Delivery)

(i) कम मात्रा देना

क्रेता स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है।

(ii) अधिक मात्रा देना

क्रेता अतिरिक्त भाग अस्वीकार कर सकता है।

(iii) मिश्रित वस्तुएँ देना

क्रेता सही वस्तुएँ स्वीकार कर शेष अस्वीकार कर सकता है।

विक्रेता के कर्तव्य

- वस्तुओं की उचित सुपुर्दगी करना
 - उचित समय एवं स्थान पर डिलीवरी देना
 - वस्तुओं को सुपुर्द योग्य अवस्था में रखना
-

क्रेता के कर्तव्य

- सुपुर्दगी स्वीकार करना
- उचित मूल्य का भुगतान करना
- डिलीवरी लेने में सहयोग करना

सुपुर्दगी का महत्व

1. कब्जे का हस्तांतरण
2. व्यापारिक अधिकारों का निर्धारण
3. जोखिम के निर्धारण में सहायता
4. अनुबंध की पूर्ति

प्रमुख वाद (Case Laws)

1. Dennant v. Skinner

न्यायालय ने सुपुर्दगी एवं कब्जे के हस्तांतरण के सिद्धांत को स्पष्ट किया।

2. Healey v. Howlett & Sons

इस वाद में वस्तुओं की पहचान एवं डिलीवरी के सिद्धांतों की व्याख्या की गई।

3. Arcos Ltd. v. Ronaasen

न्यायालय ने अनुबंधानुसार वस्तु देने के सिद्धांत को स्पष्ट किया।

निष्कर्ष

वस्तुओं की सुपुर्दगी विक्रय अनुबंध का महत्वपूर्ण भाग है। इससे क्रेता को वस्तुओं का नियंत्रण प्राप्त होता है तथा विक्रेता का दायित्व पूर्ण होता है। Sale of Goods Act, 1930 सुपुर्दगी से संबंधित विस्तृत नियम प्रदान करता है।

Unpaid Seller and His Rights –

Important Questions (English)

1. Who is an Unpaid Seller? Explain his rights under the Sale of Goods Act, 1930.
2. Discuss the rights of an unpaid seller against goods and buyer personally.
3. Explain the remedies available to an unpaid seller.
4. What are the rights of lien and stoppage in transit of an unpaid seller?
5. अप्रदत्त विक्रेता (Unpaid Seller) कौन होता है? उसके अधिकारों की व्याख्या कीजिए।

अप्रदत्त विक्रेता एवं उसके अधिकार (Unpaid Seller and His Rights) परिचय

Sale of Goods Act, 1930 के अंतर्गत यदि विक्रेता को वस्तुओं का पूरा मूल्य प्राप्त नहीं हुआ है या भुगतान का साधन (जैसे चेक) अस्वीकृत हो गया है, तो ऐसा विक्रेता “अप्रदत्त विक्रेता” (Unpaid Seller) कहलाता है।

अधिनियम में अप्रदत्त विक्रेता को अपने हितों की रक्षा हेतु विशेष अधिकार प्रदान किए गए हैं।

अप्रदत्त विक्रेता की परिभाषा (Definition of Unpaid Seller) धारा 45 के अनुसार—

निम्न परिस्थितियों में विक्रेता अप्रदत्त विक्रेता कहलाता है—

1. जब वस्तुओं का पूरा मूल्य प्राप्त न हुआ हो।
2. जब भुगतान हेतु दिया गया विनिमय पत्र, चेक आदि अस्वीकृत हो गया हो।

अप्रदत्त विक्रेता के अधिकार

(Rights of Unpaid Seller)

अप्रदत्त विक्रेता के अधिकार दो भागों में विभाजित हैं—

1. वस्तुओं के विरुद्ध अधिकार

(Rights Against Goods)

2. क्रेता के विरुद्ध व्यक्तिगत अधिकार

(Rights Against Buyer Personally)

1. वस्तुओं के विरुद्ध अधिकार

(Rights Against Goods)

1. ग्रहणाधिकार (Right of Lien)

यदि विक्रेता के पास वस्तुओं का कब्जा है और मूल्य का भुगतान नहीं हुआ है, तो वह वस्तुओं को रोक सकता है।

ग्रहणाधिकार की परिस्थितियाँ—

- बिना उधार के विक्रय
- उधार अवधि समाप्त हो जाना
- क्रेता का दिवालिया होना

2. मार्ग में रोकने का अधिकार

(Right of Stoppage in Transit)

यदि वस्तुएँ भेज दी गई हैं लेकिन अभी क्रेता तक नहीं पहुँची हैं और क्रेता दिवालिया हो गया है, तो विक्रेता वस्तुओं को मार्ग में रोक सकता है।

3. पुनर्विक्रय का अधिकार

(Right of Resale)

निम्न परिस्थितियों में विक्रेता वस्तुओं का पुनः विक्रय कर सकता है—

- नष्ट होने योग्य वस्तुएँ
- सूचना देने के बाद भी भुगतान न होना
- अनुबंध में पुनर्विक्रय का अधिकार होना

II. क्रेता के विरुद्ध व्यक्तिगत अधिकार

(Rights Against Buyer Personally)

1. मूल्य प्राप्त करने का अधिकार

(Right to Sue for Price)

यदि स्वामित्व हस्तांतरित हो चुका है और क्रेता मूल्य नहीं देता, तो विक्रेता मूल्य हेतु वाद दायर कर सकता है।

2. हर्जाने का दावा

(Suit for Damages)

अनुबंध भंग होने पर विक्रेता क्षतिपूर्ति प्राप्त कर सकता है।

3. ब्याज प्राप्त करने का अधिकार

(Right to Interest)

कुछ परिस्थितियों में विक्रेता ब्याज की मांग कर सकता है।

अप्रदत्त विक्रेता के अधिकारों का महत्व

- विक्रेता के आर्थिक हितों की रक्षा

- व्यापारिक सुरक्षा प्रदान करना
 - धोखाधड़ी से संरक्षण
-

प्रमुख वाद (Case Laws)

1. Lickbarrow v. Mason

इस वाद में मार्ग में रोकने के अधिकार (Stoppage in Transit) को स्पष्ट किया गया।

2. Valpy v. Gibson

न्यायालय ने अप्रदत्त विक्रेता के ग्रहणाधिकार की व्याख्या की।

3. Bloxam v. Sanders

इस वाद में स्वामित्व एवं भुगतान संबंधी सिद्धांत स्पष्ट किए गए।

4. Bohtlingk v. Inglis

न्यायालय ने पुनर्विक्रय के अधिकार की व्याख्या की।

निष्कर्ष

अप्रदत्त विक्रेता के अधिकार व्यापारिक लेन-देन में विक्रेता के हितों की रक्षा करते हैं। Sale of Goods Act, 1930 विक्रेता को ग्रहणाधिकार, मार्ग में रोकने तथा पुनर्विक्रय जैसे महत्वपूर्ण अधिकार प्रदान करता है, जिससे व्यापारिक व्यवस्था सुरक्षित बनी रहती है।

Remedies for the Breach of Contract –

Important Questions (English)

1. Explain the remedies available for breach of contract under the Indian Contract Act, 1872.
 2. What is breach of contract? Discuss the remedies for breach of contract.
 3. Explain different kinds of damages for breach of contract.
 4. Discuss quasi-contractual and equitable remedies for breach of contract.
 5. संविदा भंग (Breach of Contract) के उपचारों की व्याख्या कीजिए।
-

संविदा भंग के उपचार

(Remedies for the Breach of Contract)

परिचय

जब किसी वैध संविदा (Contract) का कोई पक्ष अपने दायित्वों का पालन नहीं करता, तब उसे “संविदा भंग” (Breach of Contract) कहा जाता है।

Indian Contract Act, 1872 संविदा भंग होने पर पीड़ित पक्ष को विभिन्न उपचार (Remedies) प्रदान करता है, जिससे उसे हुई हानि की भरपाई हो सके।

संविदा भंग का अर्थ

(Meaning of Breach of Contract)

जब कोई पक्ष—

- संविदा का पालन करने से इंकार करे, या
- समय पर पालन न करे, या
- असंभव बना दे,

तो संविदा भंग माना जाता है।

संविदा भंग के प्रकार

(Types of Breach of Contract)

1. वास्तविक संविदा भंग

(Actual Breach)

जब संविदा के पालन के समय या उसके दौरान उल्लंघन हो।

2. पूर्वानुमानित संविदा भंग

(Anticipatory Breach)

जब कोई पक्ष समय आने से पहले ही पालन से इंकार कर दे।

संविदा भंग के उपचार

(Remedies for Breach of Contract)

1. हर्जाना (Damages)

यह सबसे सामान्य उपचार है। पीड़ित पक्ष को हुई हानि के लिए धनराशि दी जाती है।

हर्जाने के प्रकार

(i) सामान्य हर्जाना

(Ordinary Damages)

जो स्वाभाविक रूप से उत्पन्न हानि के लिए दिया जाता है।

(ii) विशेष हर्जाना

(Special Damages)

विशेष परिस्थितियों की जानकारी होने पर दिया जाता है।

(iii) दंडात्मक हर्जाना

(Exemplary Damages)

दुर्लभ परिस्थितियों में दंड स्वरूप दिया जाता है।

(iv) नाममात्र हर्जाना

(Nominal Damages)

जब वास्तविक हानि नहीं हुई हो लेकिन अधिकार का उल्लंघन हुआ हो।

2. संविदा का निरसन

(Rescission of Contract)

पीड़ित पक्ष संविदा समाप्त कर सकता है तथा अपने दायित्वों से मुक्त हो सकता है।

3. विशिष्ट पालन

(Specific Performance)

न्यायालय पक्षकार को संविदा का वास्तविक पालन करने का आदेश दे सकता है।

यह उपचार विशेषतः अचल संपत्ति के मामलों में महत्वपूर्ण है।

4. निषेधाज्ञा

(Injunction)

न्यायालय किसी पक्ष को कोई कार्य करने से रोक सकता है।

5. क्वांटम मेरिट

(Quantum Meruit)

यदि किसी व्यक्ति ने आंशिक कार्य किया है, तो वह किए गए कार्य के अनुपात में पारिश्रमिक मांग सकता है।

संविदा भंग के उपचारों का महत्व

- पीड़ित पक्ष को न्याय प्रदान करना
 - व्यापारिक विश्वास बनाए रखना
 - अनुबंधों के पालन को सुनिश्चित करना
-

प्रमुख वाद (Case Laws)

1. Hadley v. Baxendale

इस वाद में सामान्य एवं विशेष हर्जाने के सिद्धांत को स्पष्ट किया गया।

2. Hochster v. De La Tour

न्यायालय ने पूर्वानुमानित संविदा भंग (Anticipatory Breach) के सिद्धांत को मान्यता दी।

3. Lumley v. Wagner

इस वाद में निषेधाज्ञा (Injunction) के सिद्धांत की व्याख्या की गई।

4. Sumpter v. Hedges

न्यायालय ने Quantum Meruit के सिद्धांत को स्पष्ट किया।

निष्कर्ष

संविदा भंग के उपचार अनुबंध कानून का महत्वपूर्ण भाग हैं। ये उपचार पीड़ित पक्ष को हानि की भरपाई प्रदान करते हैं तथा व्यापारिक एवं कानूनी व्यवस्था में विश्वास बनाए रखते हैं। Indian Contract Act, 1872 संविदा भंग के लिए प्रभावी कानूनी उपाय प्रदान करता है।

Nature of Partnership –

Important Questions (English)

1. Define Partnership and explain its nature.
2. Explain the essential elements of Partnership under the Indian Partnership Act, 1932.
3. Discuss the nature and characteristics of Partnership.
4. Distinguish between Partnership and Co-ownership.
5. साझेदारी (Partnership) की प्रकृति एवं आवश्यक तत्वों की व्याख्या कीजिए।

साझेदारी की प्रकृति (Nature of Partnership) परिचय

व्यापारिक संगठन के प्रमुख रूपों में साझेदारी (Partnership) का महत्वपूर्ण स्थान है। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति लाभ कमाने के उद्देश्य से मिलकर व्यापार करते हैं और व्यवसाय को आपसी सहमति से चलाते हैं, तो उसे साझेदारी कहते हैं।

भारत में साझेदारी संबंधी कानून Indian Partnership Act, 1932 द्वारा नियंत्रित होता है।

परिभाषा (Definition)

Indian Partnership Act, 1932 की धारा 4 के अनुसार—

“साझेदारी उन व्यक्तियों के बीच संबंध है जिन्होंने किसी व्यवसाय के लाभ को आपस में बाँटने हेतु सहमति की हो और जो सभी अथवा उनमें से कोई एक सभी की ओर से व्यवसाय चलाता हो।”

साझेदारी की प्रकृति एवं विशेषताएँ

(Nature and Characteristics of Partnership)

1. दो या अधिक व्यक्तियों का होना

साझेदारी के लिए कम से कम दो व्यक्तियों का होना आवश्यक है।

2. समझौता (Agreement)

साझेदारी अनुबंध (Agreement) पर आधारित होती है। यह मौखिक या लिखित हो सकता है।

3. वैध व्यवसाय

साझेदारी का उद्देश्य वैध व्यापार करना होना चाहिए।

4. लाभ बाँटने की व्यवस्था

साझेदारों के बीच लाभ बाँटने का समझौता होना आवश्यक है।

5. पारस्परिक अभिकरण

(Mutual Agency)

यह साझेदारी का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। प्रत्येक साझेदार स्वयं भी प्रधान (Principal) होता है और अन्य साझेदारों का अभिकर्ता (Agent) भी।

6. असीमित दायित्व

(Unlimited Liability)

साझेदारों का दायित्व असीमित होता है। फर्म के ऋणों के लिए उनकी व्यक्तिगत संपत्ति भी उत्तरदायी हो सकती है।

7. अत्यधिक सद्भावना

(Utmost Good Faith)

साझेदारों के बीच पूर्ण विश्वास एवं ईमानदारी आवश्यक है।

8. पृथक कानूनी व्यक्तित्व का अभाव

साझेदारी फर्म का कंपनी की तरह अलग कानूनी अस्तित्व नहीं होता।

9. साझेदारी का पंजीकरण

पंजीकरण वैकल्पिक है, लेकिन अपंजीकृत फर्म को कुछ कानूनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

साझेदारी और सह-स्वामित्व में अंतर

आधार	साझेदारी	सह-स्वामित्व
आधार	अनुबंध पर आधारित स्थिति/उत्तराधिकार	
उद्देश्य	लाभ कमाना	संपत्ति रखना
पारस्परिक अभिकरण होता है		नहीं होता

आधार	साझेदारी	सह-स्वामित्व
लाभ बाँटना	आवश्यक	आवश्यक नहीं

साझेदारी का महत्व

- अधिक पूंजी उपलब्ध होना
- कार्य विभाजन संभव होना
- प्रबंधन में सुविधा
- जोखिम का विभाजन

प्रमुख वाद (Case Laws)

1. Cox v. Hickman

इस वाद में पारस्परिक अभिकरण (Mutual Agency) को साझेदारी का मुख्य तत्व माना गया।

2. Mollwo March & Co. v. Court of Wards

न्यायालय ने लाभ बाँटने और साझेदारी के संबंध को स्पष्ट किया।

3. Dulichand Laxminarayan v. Commissioner of Income Tax

इस वाद में साझेदारी फर्म के कानूनी स्वरूप की व्याख्या की गई।

निष्कर्ष

साझेदारी व्यापारिक संगठन का एक महत्वपूर्ण एवं लोकप्रिय रूप है। यह आपसी विश्वास, सहयोग और लाभ बाँटने के सिद्धांत पर आधारित है। Indian Partnership Act, 1932 साझेदारी के गठन, अधिकारों एवं दायित्वों को नियंत्रित करता है।

Difference between Partnership and a Company –

Important Questions (English)

1. Distinguish between Partnership and Company.
2. Explain the difference between Partnership Firm and Joint Stock Company.
3. Compare Partnership and Company under Indian Law.
4. साझेदारी एवं कंपनी में अंतर स्पष्ट कीजिए।

5. Partnership Firm और Company के बीच मुख्य भेद बताइए।

साझेदारी एवं कंपनी में अंतर (Difference between Partnership and a Company) **परिचय**

साझेदारी (Partnership) और कंपनी (Company) व्यापारिक संगठन के दो महत्वपूर्ण रूप हैं। यद्यपि दोनों का उद्देश्य व्यापार करना एवं लाभ कमाना है, फिर भी इनके गठन, दायित्व, प्रबंधन तथा कानूनी स्थिति में महत्वपूर्ण अंतर पाए जाते हैं।

साझेदारी Indian Partnership Act, 1932 द्वारा नियंत्रित होती है, जबकि कंपनी Companies Act, 2013 द्वारा नियंत्रित होती है।

साझेदारी एवं कंपनी में अंतर

आधार	साझेदारी (Partnership)	कंपनी (Company)
कानून	Indian Partnership Act, 1932	Companies Act, 2013
गठन	समझौते द्वारा	विधिक पंजीकरण द्वारा
कानूनी स्थिति	पृथक कानूनी व्यक्तित्व नहीं	पृथक कानूनी व्यक्तित्व होता है
सदस्य संख्या	सीमित	अधिक संख्या संभव
दायित्व	असीमित	सामान्यतः सीमित
पारस्परिक अभिकरण होता है		नहीं होता
प्रबंधन	साझेदारों द्वारा	निदेशक मंडल द्वारा
पंजीकरण	वैकल्पिक	अनिवार्य
अस्तित्व	साझेदारों पर निर्भर	स्थायी उत्तराधिकार
पूँजी हस्तांतरण	कठिन	शेयर आसानी से हस्तांतरित
लेखा परीक्षण	आवश्यक नहीं	अनिवार्य
विघटन	आसानी से	कानूनी प्रक्रिया से

साझेदारी की विशेषताएँ

- सरल गठन
 - कम कानूनी औपचारिकताएँ
 - असीमित दायित्व
 - आपसी विश्वास पर आधारित
-

कंपनी की विशेषताएँ

- पृथक कानूनी अस्तित्व
 - सीमित दायित्व
 - स्थायी उत्तराधिकार
 - पूंजी जुटाने में सुविधा
-

साझेदारी के लाभ

- गठन में सरलता
 - व्यक्तिगत संपर्क
 - त्वरित निर्णय
-

कंपनी के लाभ

- सीमित दायित्व
 - अधिक पूंजी
 - स्थायित्व
 - शेयरों का हस्तांतरण सरल
-

प्रमुख वाद (Case Laws)

1. Salomon v. Salomon & Co. Ltd.

इस वाद में कंपनी के पृथक कानूनी व्यक्तित्व के सिद्धांत को मान्यता दी गई।

2. Cox v. Hickman

न्यायालय ने साझेदारी में पारस्परिक अभिकरण के सिद्धांत को स्पष्ट किया।

3. Dulichand Laxminarayan v. Commissioner of Income Tax

इस वाद में साझेदारी फर्म की कानूनी स्थिति की व्याख्या की गई।

निष्कर्ष

साझेदारी और कंपनी दोनों व्यापारिक संगठन के महत्वपूर्ण रूप हैं, किंतु कंपनी का स्वरूप अधिक संगठित एवं सुरक्षित माना जाता है। साझेदारी छोटे व्यापारों के लिए उपयुक्त है जबकि कंपनी बड़े व्यापारिक उपक्रमों के लिए अधिक लाभकारी होती है।

Mutual Relationship between Partners – 20 Marks

Important Questions (English)

1. Explain the mutual rights and duties of partners under the Indian Partnership Act, 1932.
2. Discuss the mutual relationship between partners.
3. What are the rights and liabilities of partners inter se?
4. Explain the principle of utmost good faith among partners.
5. साझेदारों के पारस्परिक संबंधों की व्याख्या कीजिए।

साझेदारों के पारस्परिक संबंध (Mutual Relationship between Partners) परिचय

साझेदारी (Partnership) आपसी विश्वास, सहयोग एवं सद्भावना पर आधारित संबंध है। Indian Partnership Act, 1932 की धारा 9 से 17 तक साझेदारों के पारस्परिक अधिकारों एवं कर्तव्यों का वर्णन किया गया है।

प्रत्येक साझेदार अन्य साझेदारों का अभिकर्ता (Agent) तथा प्रधान (Principal) दोनों होता है। इसी कारण साझेदारी में “Mutual Agency” का सिद्धांत अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है।

साझेदारों के पारस्परिक कर्तव्य

(Duties of Partners)

1. सद्भावना से कार्य करना

(Duty of Good Faith)

प्रत्येक साझेदार का कर्तव्य है कि वह ईमानदारी एवं विश्वास के साथ कार्य करे।

2. अधिकतम लाभ हेतु कार्य करना

साझेदारों को फर्म के अधिकतम लाभ के लिए कार्य करना चाहिए।

3. सही लेखा प्रस्तुत करना

प्रत्येक साझेदार को सही एवं पूर्ण लेखा रखना चाहिए।

4. गुप्त लाभ न लेना

यदि कोई साझेदार फर्म के व्यापार से गुप्त लाभ कमाता है, तो उसे वह लाभ फर्म को देना होगा।

5. प्रतिस्पर्धी व्यापार न करना

कोई साझेदार फर्म के विरुद्ध समान व्यापार नहीं कर सकता।

6. हानि की पूर्ति करना

यदि किसी साझेदार की धोखाधड़ी से फर्म को हानि होती है, तो वह उसकी भरपाई करेगा।

साझेदारों के पारस्परिक अधिकार

(Rights of Partners)

1. व्यापार में भाग लेने का अधिकार

प्रत्येक साझेदार को व्यापार के संचालन में भाग लेने का अधिकार है।

2. परामर्श का अधिकार

महत्वपूर्ण मामलों में प्रत्येक साझेदार से परामर्श लिया जाएगा।

3. लेखा देखने का अधिकार

प्रत्येक साझेदार को फर्म की पुस्तकों एवं खातों का निरीक्षण करने का अधिकार है।

4. लाभ में हिस्सा पाने का अधिकार

साझेदार लाभ में समान भाग पाने के अधिकारी होते हैं, जब तक कि अनुबंध में अन्यथा न हो।

5. ब्याज प्राप्त करने का अधिकार

यदि किसी साझेदार ने अतिरिक्त धन दिया है, तो उसे ब्याज प्राप्त करने का अधिकार हो सकता है।

6. क्षतिपूर्ति का अधिकार

फर्म के कार्य में हुए उचित खर्चों की प्रतिपूर्ति पाने का अधिकार।

Mutual Agency का सिद्धांत

साझेदारी का सबसे महत्वपूर्ण तत्व “Mutual Agency” है।

प्रत्येक साझेदार—

- स्वयं प्रधान होता है, तथा
- अन्य साझेदारों का अभिकर्ता भी होता है।

अतः एक साझेदार के कार्यों के लिए अन्य साझेदार भी उत्तरदायी हो सकते हैं।

साझेदारों के संबंधों का महत्व

- व्यापारिक विश्वास बनाए रखना
 - विवादों को कम करना
 - व्यापार का सुचारु संचालन सुनिश्चित करना
-

प्रमुख वाद (Case Laws)

1. Cox v. Hickman

इस वाद में Mutual Agency को साझेदारी का मुख्य तत्व माना गया।

2. Bentley v. Craven

न्यायालय ने गुप्त लाभ न लेने के सिद्धांत को स्पष्ट किया।

3. Helmore v. Smith

इस वाद में साझेदारों के पारस्परिक विश्वास एवं दायित्वों की व्याख्या की गई।

निष्कर्ष

साझेदारों के पारस्परिक संबंध साझेदारी फर्म की सफलता का आधार हैं। आपसी विश्वास, सद्भावना एवं सहयोग के बिना साझेदारी का सफल संचालन संभव नहीं है। Indian Partnership Act, 1932 साझेदारों के अधिकारों एवं कर्तव्यों को स्पष्ट रूप से निर्धारित करता है।

Authority of Partners –

Important Questions (English)

1. Explain the authority of partners under the Indian Partnership Act, 1932.
 2. What is implied authority of a partner? Discuss its limitations.
 3. Explain different kinds of authority of partners.
 4. Discuss the acts which are beyond the implied authority of a partner.
 5. साझेदारों के अधिकार (Authority of Partners) की व्याख्या कीजिए।
-

साझेदारों का अधिकार (Authority of Partners) परिचय

Indian Partnership Act, 1932 के अंतर्गत प्रत्येक साझेदार फर्म का अभिकर्ता (Agent) होता है। इसलिए वह फर्म के व्यापार से संबंधित कार्य कर सकता है तथा उसके कार्यों से फर्म बाध्य होती है।

साझेदार के अधिकार को “Authority of Partner” कहा जाता है।

साझेदार के अधिकार के प्रकार

(Types of Authority of Partners)

1. व्यक्त अधिकार

(Express Authority)

जब साझेदार को स्पष्ट रूप से अधिकार दिया जाता है, तब उसे व्यक्त अधिकार कहते हैं।

यह अधिकार—

- साझेदारी अनुबंध द्वारा, या
 - अन्य साझेदारों की सहमति द्वारा दिया जा सकता है।
-

2. निहित अधिकार

(Implied Authority)

धारा 19 के अनुसार प्रत्येक साझेदार को फर्म के सामान्य व्यापार से संबंधित कार्य करने का निहित अधिकार होता है।

निहित अधिकार के अंतर्गत कार्य

साझेदार निम्न कार्य कर सकता है—

- माल खरीदना एवं बेचना
 - भुगतान प्राप्त करना
 - रसीद देना
 - कर्मचारियों की नियुक्ति करना
 - व्यापारिक ऋण लेना
-

निहित अधिकार की सीमाएँ

(Limitations of Implied Authority)

निम्न कार्य साझेदार अन्य साझेदारों की अनुमति के बिना नहीं कर सकता—

1. विवाद को मध्यस्थता में भेजना
 2. फर्म के विरुद्ध मुकदमा वापस लेना
 3. अचल संपत्ति का हस्तांतरण
 4. फर्म को गारंटी देना
 5. साझेदारी को भंग करना
 6. निजी ऋण स्वीकार करना
-

आपातकालीन अधिकार

(Emergency Authority)

विशेष परिस्थितियों में फर्म के हितों की रक्षा हेतु साझेदार आवश्यक कार्य कर सकता है।

साझेदार के कार्यों का प्रभाव

यदि साझेदार अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर कार्य करता है, तो—

- फर्म बाध्य होगी
- अन्य साझेदार भी उत्तरदायी होंगे

लेकिन यदि कार्य अधिकार से बाहर हो, तो सामान्यतः फर्म उत्तरदायी नहीं होगी।

साझेदार के अधिकार का महत्व

- व्यापारिक कार्यों में सुविधा
 - त्वरित निर्णय लेना
 - फर्म का सुचारु संचालन
-

प्रमुख वाद (Case Laws)

1. Mercantile Credit Co. Ltd. v. Garrod

न्यायालय ने कहा कि साझेदार के निहित अधिकार के अंतर्गत किए गए कार्यों के लिए फर्म उत्तरदायी होगी।

2. Cox v. Hickman

इस वाद में Mutual Agency एवं साझेदार के अधिकार के सिद्धांत को स्पष्ट किया गया।

3. Hamlyn v. Houston & Co.

न्यायालय ने फर्म की ओर से किए गए कार्यों की उत्तरदायित्व संबंधी व्याख्या की।

निष्कर्ष

साझेदारों का अधिकार साझेदारी व्यवसाय की महत्वपूर्ण विशेषता है। प्रत्येक साझेदार फर्म का अभिकर्ता होने के कारण उसके कार्य फर्म को बाध्य करते हैं। Indian Partnership Act, 1932 साझेदारों के अधिकारों एवं उनकी सीमाओं को स्पष्ट रूप से निर्धारित करता है।

Dissolution of Partnership –

Important Questions (English)

1. Explain the modes of Dissolution of Partnership under the Indian Partnership Act, 1932.
2. Distinguish between Dissolution of Partnership and Dissolution of Firm.

3. Explain the grounds for dissolution of partnership by court.
4. Discuss the consequences of dissolution of partnership firm.
5. साझेदारी के विघटन (Dissolution of Partnership) की व्याख्या कीजिए।

साझेदारी का विघटन (Dissolution of Partnership) परिचय

जब साझेदारों के बीच का संबंध समाप्त हो जाता है, तो उसे साझेदारी का विघटन कहा जाता है।

Indian Partnership Act, 1932 में साझेदारी एवं फर्म के विघटन से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं।

साझेदारी का विघटन (Dissolution of Partnership) और फर्म का विघटन (Dissolution of Firm) दोनों अलग-अलग अवधारणाएँ हैं।

साझेदारी का विघटन और फर्म का विघटन में अंतर

आधार	साझेदारी का विघटन	फर्म का विघटन
अर्थ	साझेदारों के संबंध में परिवर्तन	फर्म का पूर्ण अंत
व्यापार जारी रह सकता है	समाप्त हो जाता है	
प्रभाव	केवल कुछ साझेदार प्रभावित	सभी साझेदार प्रभावित

साझेदारी के विघटन के प्रकार

(Modes of Dissolution of Partnership)

1. समझौते द्वारा विघटन

(Dissolution by Agreement)

जब सभी साझेदार आपसी सहमति से फर्म समाप्त करें।

2. अनिवार्य विघटन

(Compulsory Dissolution)

निम्न परिस्थितियों में फर्म का विघटन अनिवार्य हो जाता है—

- व्यापार अवैध हो जाना

- सभी साझेदारों का दिवालिया होना

3. विशेष घटनाओं द्वारा विघटन

(Dissolution on Certain Contingencies)

- (i) निश्चित अवधि समाप्त होना
- (ii) विशेष कार्य पूरा होना
- (iii) साझेदार की मृत्यु
- (iv) साझेदार का दिवालिया होना

4. सूचना द्वारा विघटन

(Dissolution by Notice)

इच्छानुसार साझेदारी (Partnership at Will) में कोई भी साझेदार लिखित सूचना देकर फर्म समाप्त कर सकता है।

5. न्यायालय द्वारा विघटन

(Dissolution by Court)

न्यायालय निम्न आधारों पर फर्म का विघटन कर सकता है—

- (i) साझेदार का विक्षिप्त होना
- (ii) स्थायी अक्षमता
- (iii) दुराचार
- (iv) अनुबंध का लगातार उल्लंघन
- (v) व्यापार में लगातार हानि
- (vi) न्यायोचित एवं उचित कारण

विघटन के परिणाम

(Consequences of Dissolution)

1. फर्म का व्यापार समाप्त होना

2. संपत्ति का वितरण

3. ऋणों का भुगतान

4. साझेदारों के अधिकार एवं दायित्व समाप्त होना

विघटन के बाद साझेदारों के अधिकार

- फर्म की संपत्ति में हिस्सा
- लाभ/हानि का निपटान
- उचित प्रतिपूर्ति का अधिकार

साझेदारी विघटन का महत्व

- विवादों का समाधान
- देनदारियों का निपटान
- व्यापारिक संबंधों का विधिक अंत

प्रमुख वाद (Case Laws)

1. Blisset v. Daniel

इस वाद में साझेदारों के अधिकार एवं सद्भावना के सिद्धांत स्पष्ट किए गए।

2. Carmichael v. Evans

न्यायालय ने न्यायालय द्वारा विघटन के आधारों की व्याख्या की।

3. Agarwal & Co. v. Commissioner of Income Tax

इस वाद में फर्म के विघटन के कानूनी प्रभावों को स्पष्ट किया गया।

निष्कर्ष

साझेदारी का विघटन व्यापारिक संबंधों का कानूनी अंत है। Indian Partnership Act, 1932 विघटन के विभिन्न आधार एवं प्रक्रियाएँ निर्धारित करता है ताकि साझेदारों के अधिकारों एवं दायित्वों का उचित निपटान हो सके।

Minor as Partner –

Important Questions (English)

1. Can a minor become a partner? Discuss under the Indian Partnership Act, 1932.
2. Explain the rights and liabilities of a minor admitted to the benefits of partnership.
3. Discuss the position of a minor in a partnership firm.
4. What happens when a minor attains majority in a partnership firm?
5. अवयस्क (Minor) को साझेदारी में प्रवेश देने के नियमों की व्याख्या कीजिए।

साझेदारी में अवयस्क

(Minor as Partner)

परिचय

भारतीय कानून के अनुसार अवयस्क (Minor) वह व्यक्ति है जिसने 18 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं की है।

Indian Contract Act, 1872 के अनुसार अवयस्क संविदा करने में सक्षम नहीं होता। इसलिए वह पूर्ण साझेदार नहीं बन सकता।

लेकिन Indian Partnership Act, 1932 की धारा 30 के अनुसार, सभी साझेदारों की सहमति से अवयस्क को साझेदारी के लाभों में प्रवेश दिया जा सकता है।

क्या अवयस्क साझेदार बन सकता है?

सामान्य नियम

अवयस्क पूर्ण साझेदार नहीं बन सकता क्योंकि वह वैध अनुबंध करने में सक्षम नहीं होता।

अपवाद

उसे केवल साझेदारी के लाभों (Benefits of Partnership) में प्रवेश दिया जा सकता है।

अवयस्क के अधिकार

(Rights of Minor)

1. लाभ में हिस्सा पाने का अधिकार

अवयस्क साझेदारी के लाभों में अपना हिस्सा प्राप्त कर सकता है।

2. खातों का निरीक्षण

उसे फर्म के खातों की जांच एवं प्रतिलिपि देखने का अधिकार है।

3. अपने हिस्से हेतु वाद दायर करना

फर्म से अलग होने पर वह अपना हिस्सा प्राप्त करने हेतु मुकदमा दायर कर सकता है।

अवयस्क की देयताएँ

(Liabilities of Minor)

1. सीमित दायित्व

अवयस्क केवल फर्म में अपने हिस्से तक उत्तरदायी होता है।

2. व्यक्तिगत दायित्व नहीं

उसकी व्यक्तिगत संपत्ति फर्म के ऋणों के लिए उत्तरदायी नहीं होगी।

3. फर्म के कार्यों हेतु उत्तरदायी नहीं

वह अन्य साझेदारों की तरह पूर्ण उत्तरदायित्व नहीं रखता।

बालिग होने पर स्थिति

(Position on Attaining Majority)

जब अवयस्क बालिग हो जाता है, तब उसे 6 माह के भीतर निर्णय लेना होता है कि—

- वह साझेदार बनना चाहता है या नहीं।

उसे सार्वजनिक सूचना (Public Notice) देनी होती है।

यदि वह साझेदार बनना स्वीकार करे

- वह प्रारंभ से साझेदार माना जाएगा।
 - उसकी देयता असीमित हो जाएगी।
-

यदि वह साझेदार बनने से इंकार करे

- उसकी देयता केवल बालिग होने से पूर्व तक सीमित रहेगी।
- उसे अपने हिस्से का अधिकार प्राप्त होगा।

अवयस्क को लाभ में प्रवेश देने का महत्व

- परिवारिक व्यवसाय में सुविधा
- भविष्य के व्यापारिक प्रशिक्षण का अवसर
- आर्थिक हितों की सुरक्षा

प्रमुख वाद (Case Laws)

1. Commissioner of Income Tax v. Dwarkadas Khetan & Co.

न्यायालय ने कहा कि अवयस्क पूर्ण साझेदार नहीं बन सकता।

2. Mohori Bibee v. Dharmodas Ghose

इस वाद में अवयस्क के अनुबंध को शून्य घोषित किया गया।

3. Shri Ram v. Mst. Ganga Devi

न्यायालय ने अवयस्क के सीमित दायित्व के सिद्धांत को स्पष्ट किया।

निष्कर्ष

अवयस्क भारतीय कानून के अंतर्गत पूर्ण साझेदार नहीं बन सकता, किंतु उसे साझेदारी के लाभों में प्रवेश दिया जा सकता है। Indian Partnership Act, 1932 अवयस्क के अधिकारों एवं दायित्वों को स्पष्ट रूप से निर्धारित करता है, जिससे उसके हितों की सुरक्षा सुनिश्चित होती है।

Effect of Non-Registration of Firm –

Important Questions (English)

1. Explain the effects of non-registration of a partnership firm under the Indian Partnership Act, 1932.
2. What are the disabilities of an unregistered firm?
3. Discuss the consequences of non-registration of partnership firm.
4. Is registration of partnership compulsory? Explain its legal effects.
5. अपंजीकृत साझेदारी फर्म के प्रभावों की व्याख्या कीजिए।

फर्म के अपंजीकरण के प्रभाव

(Effect of Non-Registration of Firm)

परिचय

Indian Partnership Act, 1932 के अंतर्गत साझेदारी फर्म का पंजीकरण अनिवार्य नहीं है, लेकिन अपंजीकृत फर्म को अनेक कानूनी कठिनाइयों एवं सीमाओं का सामना करना पड़ता है।

धारा 69 में अपंजीकृत फर्म की असमर्थताओं (Disabilities) का वर्णन किया गया है।

फर्म का पंजीकरण

(Registration of Firm)

जब साझेदार फर्म का नाम, पता, साझेदारों का विवरण आदि रजिस्ट्रार के पास दर्ज कराते हैं, तो उसे फर्म का पंजीकरण कहा जाता है।

अपंजीकृत फर्म के प्रभाव

(Effects of Non-Registration)

1. साझेदार द्वारा फर्म के विरुद्ध वाद नहीं

कोई साझेदार फर्म या अन्य साझेदारों के विरुद्ध अपने अधिकार लागू करने हेतु वाद दायर नहीं कर सकता।

2. फर्म द्वारा तीसरे पक्ष के विरुद्ध वाद नहीं

अपंजीकृत फर्म किसी तीसरे पक्ष के विरुद्ध संविदात्मक अधिकार लागू करने हेतु मुकदमा नहीं कर सकती।

3. प्रतिदावा (Set-off) का अधिकार नहीं

यदि दावा ₹100 से अधिक का हो, तो अपंजीकृत फर्म प्रतिदावा प्रस्तुत नहीं कर सकती।

4. संविदात्मक अधिकारों का प्रवर्तन बाधित

फर्म अपने संविदात्मक अधिकारों को न्यायालय में लागू नहीं करा सकती।

अपंजीकरण के बावजूद उपलब्ध अधिकार

(Rights Not Affected)

अपंजीकृत फर्म निम्न कार्य कर सकती है—

1. फर्म के विघटन हेतु वाद
 2. खातों के निपटान हेतु वाद
 3. संपत्ति की वसूली हेतु वाद
 4. तृतीय पक्ष द्वारा फर्म पर मुकदमा
-

पंजीकरण का महत्व

- कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है
 - संविदात्मक अधिकार लागू करने में सहायता
 - व्यापारिक विश्वसनीयता बढ़ाता है
 - विवादों के समाधान में सुविधा
-

पंजीकरण के लाभ

- साझेदारों के अधिकारों की सुरक्षा
 - न्यायालय में दावा करने का अधिकार
 - व्यापारिक पहचान एवं प्रमाणिकता
-

प्रमुख वाद (Case Laws)

1. Shreeram Finance Corporation v. Yasin Khan

न्यायालय ने कहा कि अपंजीकृत फर्म संविदात्मक अधिकारों को लागू करने हेतु वाद दायर नहीं कर सकती।

2. Jagdish Chandra Gupta v. Kajaria Traders

इस वाद में धारा 69 की व्याख्या की गई।

3. Raptakos Brett & Co. Ltd. v. Ganesh Property

न्यायालय ने अपंजीकरण के प्रभावों एवं अपवादों को स्पष्ट किया।

निष्कर्ष

यद्यपि साझेदारी फर्म का पंजीकरण अनिवार्य नहीं है, फिर भी अपंजीकरण से फर्म को अनेक कानूनी असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए व्यापारिक सुरक्षा एवं अधिकारों के संरक्षण हेतु फर्म का पंजीकरण अत्यंत आवश्यक माना जाता है।
